बाणगंगा थाना फिर बना अपराध में नंबर वन

▸ चंदननगर थाने ने लसूड़िया थाने को पीछे छोड़ा

नव भारत न्यूज

इंदौर. पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बावजूद शहर में अपराध की रफ्तार थम नहीं रही. ताजा आंकड़ों में बाणगंगा थाना इस साल भी अपराधों के मामले में नंबर वन पर बना हुआ है. वहीं इस बार चंदननगर थाने ने लसूड़िया को पछाड़ते हुए दूसरे स्थान पर पहुंच गया है.

इस वर्ष के दस महीनों में बाणगंगा थाने में 1494 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जबकि चंदननगर में 1423 और लसूड़िया में 1400 केस दर्ज किए गए. इन थानों में औसतन हर माह 140 से 150 आपराधिक प्रकरण दर्ज हो रहे हैं. शहर के 32 थानों में दर्ज अपराधों का लगभग आधा हिस्सा इन्हीं छह थानों बाणगंगा, चंदननगर, लसूड़िया, भंवरकुआं, खजराना और विजयनगर से आता है. भंवरकुआं थाने में अब तक 1208 केस, खजराना में 920 और विजयनगर में 900 केस दर्ज हुए हैं. अपराध की यह सघनता पुलिस के लिए गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है. अपराध नियंत्रण के लिए पूर्व में बाणगंगा, लसूड़िया और भंवरकुआं थानों को विभाजित कर तीन नए थाने सुपर कॉरिडोर, महालक्ष्मी नगर और पालदा बनाने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन यह अभी तक फाइलों में ही अटका हुआ है. प्रस्ताव पर अमल नहीं होने से इन क्षेत्रों में अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं.

सराफा थाना एक बार फिर सबसे शांत थाने के रूप में आया सामने

शहर के सबसे शांत थाने के रूप में सराफा थाना एक बार फिर सामने आया है. यहां इस साल अब तक केवल 132 केस दर्ज हुए हैं. रावजी बाजार में 295, एमजी रोड में 373, जबकि छोटी ग्वालटोली और उत्तरीपुरा में 200-200 मामले दर्ज हुए हैं. व्यापारिक क्षेत्रों में रहवासी संख्या कम होने से इन इलाकों में अपराधों का ग्राफ नीचे बना हुआ है.

दो टीआई का प्रयोग भी बेअसर

बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण के लिए पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने कुछ समय पहले लसूड़िया और विजयनगर थानों में दो-दो टीआई तैनात करने का प्रयोग किया था. दोनों स्थानों पर महिला अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन आंकड़ों से पता चलता है कि इस कदम से भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिले. वहीं, पुलिस सूत्र बताते हैं कि अब कुछ अन्य थानों में भी इसी तरह की व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है.

5 वर्षों में 1217 बच्चों को परिवार से मिलवाया

▸ इस साल जनवरी से अक्टूबर के नौ माह में ही 140 बच्चों का किया रेस्क्यू

▸ जीआरपी पुलिस बनी प्लेटफॉर्म पर सतर्कता की नजीर

नव भारत न्यूज

इंदौर. रेलवे यात्रियों की सुरक्षा और जनसेवा में जीआरपी इंदौर ने एक बार फिर अपनी संवेदनशीलता और समर्पण का परिचय दिया है. पिछले पांच वर्षों में जीआरपी ने 1217 असंरक्षित बालक-बालिकाओं को रेलवे स्टेशनों, ट्रेनों और परिसरों से रेस्क्यू कर उनके परिवारों तक सुरक्षित पहुंचाया.

रेल एसपी पद्मविलोचन शुक्ला ने नव भारत को बताया कि केवल जनवरी से अक्टूबर 2025 तक ही 140 असंरक्षित बच्चे, जिनमें 68 बालक और 72 बालिकाएं शामिल हैं, सुरक्षित परिजनों के सुपुर्द किए गए. इनमें से 36 बच्चों के संबंध में अपहरण जैसे गंभीर अपराध दर्ज थे.

सभी बच्चों को जीआरपी की तकनीकी दक्षता, तत्परता और मानवीय प्रयासों से सुरक्षित ढूंढ़ा गया. एसपी शुक्ला ने बताया कि जीआरपी की टीम लगातार रेलवे प्लेटफॉर्म, ट्रेनों और स्टेशन परिसरों में सर्च अभियान चलाती है. पुलिसकर्मी न केवल यात्रियों से संवाद स्थापित करते हैं, बल्कि अकेले या असहाय बच्चों व महिलाओं की सुरक्षा के लिए सक्रिय निगरानी रखते हैं. बच्चों के भटकने के कारण अलग-अलग हैं. कुछ परिवार से बिछड़ जाते हैं, तो कुछ घर से नाराज होकर बाहर निकल जाते हैं.

पिछले पांच वर्षों में परिवार से मिलाए बच्चों की संख्या

पिछले पांच वर्षों में वर्षवार रेस्क्यू का आंकड़ा इस प्रकार है, 2020 में 112, 2021 में 188, 2022 में 396, 2023 में 231, 2024 में 148 और 2025 जनवरी से अक्टूबर में 142 बच्चे. एसपी शुक्ला का कहना है कि जीआरपी की यह पहल न केवल बच्चों की सुरक्षा का संदेश देती है, बल्कि यह भी स्पष्ट करती है कि पुलिस समाज के हर वर्ग की सुरक्षा और कल्याण के लिए हमेशा तत्पर है. मानवता, संवेदनशीलता और सतर्कता का यह उदाहरण निश्चित रूप से जीआरपी इंदौर की उत्कृष्ट कार्यशैली और जनहित में उसकी निष्ठा को उजागर करता है.

ऑनलाइन सट्टा गैंग के दो फरार आरोपी झांसी से पकड़ाए

इंदौर. क्राइम ब्रांच ने ऑनलाइन गेमिंग सट्टा संचालित करने वाले अंतरराज्यीय गैंग के दो फरार आरोपियों को झांसी से गिरफ्तार किया है. इनके खिलाफ ऑनलाइन सट्टा, गेमलिंग एक्ट और संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है. इससे पहले इस प्रकरण में गैंग के अन्य 10 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं.

झांसी से गिरफ्तार किए गए आरोपी 36 वर्षीय हर्षवर्धन अग्रवाल उर्फ हैप्पी और 41 वर्षीय विकास साहू ऑनलाइन सट्टा की आईडी उपलब्ध कराने और मॉनिटरिंग का काम करते थे. इनके कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल और अन्य डिजिटल उपकरणों की

मदद से सैकड़ों ऑनलाइन गेम्स पर सट्टा खिलवाया जाता था. आरोपियों ने जांच में बताया कि वे वरुण ऑनलाइन हब वेबसाइट के माध्यम से ग्राहकों को वर्चुअल आईडी और पासवर्ड देते थे. ग्राहक उक्त आईडी पर जमा किए गए पैसे के आधार पर हार-जीत के दाव लगाकर ऑनलाइन सट्टा खेलते थे.

पुलिस ने संयोगितागंज क्षेत्र के फ्लैट में दबिश देकर आरोपी हिमांशु खंडेलवाल, रविंद्र गौतम, विवेक कुमार, अमित कुमार मंडल, कृष्णा कुमार और कन्हैया पांडे को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था. इसके अलावा निखिल खंडेलवाल, लक्की चौहान उर्फ अभिजीत चौहान, राजेश जैन और विकास बंसल भी पहले पकड़े जा चुके हैं. पूर्व में गिरफ्तार इन आरोपियों के कब्जे से 29 मोबाइल, 1 कंप्यूटर, 2 लैपटॉप, 7 चेकबुक, 4 पासबुक, एटीएम कार्ड, 6.5 लाख रुपए नकद, एक एर्टिगा कार और ऑनलाइन सट्टे के करोड़ों रुपए के लेखा-जोखा जब्त किए गए थे. एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के तहत इंदौर में ऑनलाइन जुआ, सट्टा और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है. गिरफ्तार आरोपियों से अभी अन्य विवरण और सहयोगियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.

मालिक के साथ मारपीट, चाकू मारा

इंदौर. सराफा थाना क्षेत्र में दुकान के पास हुए विवाद में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. फरियादी 40 वर्षीय रहमत अली निवासी लाबरिया भैरु धार रोड ने बताया कि आरोपी नदीम उर्फ सोनू ने उनके सामने थूक दिया. विरोध करने पर आरोपी ने गालियां देते हुए हाथापाई की. इसी दौरान उसका भाई वशीम अंसारी भी मौके पर आया और हाथ में ली हुई केचीं से फरियादी के सीने में वार कर दिया, जिससे वह घायल हो गया और खून बहने लगा. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

दो स्थानों पर चोरी, एक में रिश्तेदार ही निकली चोर

इंदौर. शहर में चोरी की दो अलग-अलग घटनाएं सामने आई. जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने ही रिश्तेदार पर घर से जेवर चोरी करने का आरोप लगाया है. फरियादी कामेश छपरी निवासी बीके हरिजन कॉलोनी ने पुलिस को बताया कि किसी ने अलमारी से सोने-चांदी के आभूषण और नकदी चोरी कर ली थी. संदेह होने पर जब रिश्तेदार गुनगुन सिहोते से पूछताछ की गई, तो उसने चोरी करना स्वीकार कर लिया. वहीं, लसूड़िया थाना क्षेत्र के एंजल पार्क, फोनिक्स टाउनशिप में अज्ञात बदमाश ने घर का ताला तोड़कर सोने की अंगूठी, पेंडल, ऑफिस बैग और अन्य सामान पार कर दिया. फरियादी धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

एक नजर में

डीएनए सैंपल संग्रह और फोरेंसिक प्रबंधन पर कार्यशाला

इंदौर. अपराधों की विवेचना में वैज्ञानिक साक्ष्यों के उपयोग को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस कमिश्नर कार्यालय में डीएनए सैंपल संग्रह और फोरेंसिक प्रबंधन पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई. इस कार्यशाला का उद्देश्य पास्को और वयस्क बलात्कार मामलों में जांच अधिकारियों की दक्षता बढ़ाना था. कार्यशाला में करीब 60 विवेचना अधिकारी शामिल हुए. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी अविनाश पुरी और उनकी टीम ने डीएनए सैंपल के संग्रह, संरक्षण, भंडारण और दस्तावेजीकरण की सही प्रक्रिया पर प्रशिक्षण दिया. अधिकारियों को बताया गया कि अपराधों की जांच में छोटी चूक भी अपराधियों को बचाने में सहायक हो सकती है, इसलिए फोरेंसिक साक्ष्यों का सटीक और सुरक्षित उपयोग आवश्यक है. विशेष रूप से पास्को और बलात्कार मामलों में डीएनए परीक्षण की प्रक्रिया, सैंपल संकलन और जांच के दौरान ध्यान रखी जाने वाली सावधानियों पर भी विस्तार से जानकारी दी गई. अधिकारियों को घटनास्थल निरीक्षण और साक्ष्यों के सुरक्षित संकलन की बारीकियों से भी अवगत कराया गया, ताकि अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.

तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत

इंदौर. सांवेर थाना क्षेत्र अंतर्गत उज्जैन-इंदौर रोड धरमपुरी में एक व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हो गई. मृतक 40 वर्षीय कैलाश धानक निवासी ग्राम करनपुरा थाना हिंगोरिया, उज्जैन थे. अज्ञात वाहन चालक ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई. पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

मोहल्ले में झगड़े के दौरान मारपीट

इंदौर. संयोगितागंज थाना क्षेत्र में रात के समय हुए विवाद में एक व्यक्ति घायल हो गया. 40 वर्षीय फरियादी पप्पू बामने निवासी श्यामाचरण शुक्ला नगर ने बताया कि उनके बेटे युवराज के साथ मोहल्ले के निवासी विष्णु के बीच झगड़ा हो गया. बीचबचाव करने के लिए जब वह पहुंचे, तो आरोपी ने उन्हें गालियां दी और नुकीली वस्तु से पीट दिया. घटना में पीड़ित के पीठ और कमर के पास चोटें आई. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

बेलगाम बस में अचानक ब्रेक लगाने से यात्री घायल

इंदौर. मानपुर थाना क्षेत्र में एबी रोड भेरूघाट पर बस नम्बर एमपी 69 पी 0141 के चालक की लापरवाही से यात्री घायल हो गया. उपनिरीक्षक त्रिलोक सिंह बरकड़े ने बताया कि तेज गति से बस चला रहे चालक ने गड्ढों में अचानक ब्रेक लगाकर बस को तेज गति में रोका, जिससे बस में बैठे 50 वर्षीय कमल वर्मा घायल हो गए. साथ ही चालक ने घायल यात्रियों के साथ गाली-गलौच भी की. पुलिस ने बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

गोदाम में विवाद के बाद गाली-गलौज और मारपीट

इंदौर. तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के नायता मुंडला स्थित एक सीमेंट गोदाम में विवाद के बाद दो पक्षों में झगड़ा हो गया. पुलिस के अनुसार फरियादी रामबाबू राजपूत निवासी मयूर नगर मूसाखेड़ी की रिपोर्ट पर हरदीप सिंह और उसके बेटे निवासी आदित्य नगर भंवरकुआं के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है. आरोप है कि दोनों ने गोदाम पर पहुंचकर फरियादी के साथ मारपीट की, अश्लील गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पालतू कुत्ते ने 10 साल के बच्चे को काटा

इंदौर. क्षिप्रा थाना क्षेत्र के ग्राम पीरकराड़िया में एक बच्चे पर पालतू कुत्ते ने हमला कर दिया. फरियादी ज्योति अस्टोलिया ने बताया कि उनके 10 वर्षीय बेटे ऋषभ को पड़ोस की रेखा बाई के पालतू कुत्ते ने सीधे पैर की एड़ी में काट लिया. घटना में बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ और खून बहने लगा. पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

बिना परीक्षा पुलिस आरक्षक बनवाने के नाम से युवतियों से करता था ठगी

▸ सोशल मीडिया पर युवतियों से दोस्ती कर फंसाता था जाल में

इंदौर. क्राइम ब्रांच ने एक जालसाज को गिरफ्तार किया है, जिसने खुद को पुलिस आरक्षक बताकर युवती से बिना परीक्षा आरक्षक पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर 6 लाख रुपए की मांग की थी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है.

एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया ने बताया कि देवास की रहने वाली युवती इंदौर में पढ़ाई कर रही थी. आरोपी अजय पाटीदार ने कॉल कर खुद को पुलिस आरक्षक

अजय पाटीदार

बताया और युवती को झांसा दिया कि वह बिना परीक्षा नौकरी दिला सकता है. युवती को शक होने पर उसने आरोपी की बातचीत रिकॉर्ड की और व्हाट्सऐप चैट के स्क्रीनशॉट पुलिस को सौंप दिए. शिकायत के आधार पर क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. तकनीकी और साइबर सबूतों के जरिए पुलिस ने अजय पाटीदार को गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी पर पूर्व में भी गैंबलिंग व आर्म्स एक्ट में दर्ज हैं केस

पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया और बताया कि वह सोशल मीडिया पर युवतियों से दोस्ती कर उन्हें अपने जाल में फंसाता था. एडिशनल डीसीपी दंडोतिया ने कहा कि अजय ने युवती की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी का फायदा उठाकर उसे नौकरी दिलाने का झांसा दिया. आरोपी आदतन अपराधी है और उस पर पहले भी देवास जिले में एक गैंबलिंग एक्ट और दूसरा आर्म्स एक्ट में दो मामले दर्ज हैं. इसके अलावा आजाद नगर थाना, इंदौर में भी उस पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है. पुलिस उससे पूछताछ कर अन्य मामलों की जानकारी जुटा रही है.

छोटे बच्चे की खेलते समय हादसे में मौत

इंदौर.बाणगंगा क्षेत्र में शनिवार को दो साल के बच्चे की खेलते समय गंभीर चोट लगने के बाद मौत हो गई. बच्चा पैदल चलने वाली छोटी साइकिल पर खेलते समय मुंह के बल गिर गया, जिससे सिर और चेहरे में अंदरूनी चोटें आई. परिवार ने बच्चे को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने देर रात उसे मृत घोषित कर दिया.

मृतक का नाम अयांश पिता गोपाल शाह उम्र दो वर्ष, निवासी गोविंद कॉलोनी था. घटना के समय पिता गोपाल घर पर नहीं थे. घर पर मां खुशबू, एक साल का छोटा बेटा और अयांश मौजूद थे. अयांश के पिता ने पुलिस को बताया कि बच्चा साइकिल पर खेलते समय चौखट के पास पहुंचा

और गिरकर चोटिल हो गया. घटना के तुरंत बाद बच्चा कुछ समय रोया और सो गया, लेकिन करीब एक घंटे बाद उसकी तबीयत बिगड़ी. उल्टियां शुरू हुई और हाथ-पैर सुन्न पड़ गए. मां ने पड़ोसियों की मदद से उसे निजी अस्पताल पहुंचाया. दिनभर वेंटिलेटर पर रखे जाने के बाद रात करीब 12 बजे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बाणगंगा पुलिस ने मर्ग दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

नवविवाहिता की मौत, पति पर केस दर्ज

▸ इसी साल जनवरी में हुआ था विवाह

इंदौर. हीरानगर थाना क्षेत्र में नवविवाहिता की मौत के मामले में पुलिस ने उसके पति के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है. यह कदम मृतका के परिजनों के बयान और प्रारंभिक जांच के आधार पर उठाया गया.

एसीपी रूबिना मिजवानी ने बताया कि 24 वर्षीय माही परमार ने 5 नवंबर की रात अपने घर में जहरीला पदार्थ खा लिया था. परिजन उसे तुरंत अपोलो अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. जांच में यह भी सामने आया कि माही की शादी जनवरी 2025 में सुखलिया स्थित लवकुश विहार निवासी लक्ष्य गेहलोद से हुई थी. परिजनों ने पुलिस

को बताया कि शादी के बाद से ही लक्ष्य का व्यवहार माही के प्रति असामान्य और प्रताड़ित करने वाला था. विशेष रूप से दहेज को लेकर वह बार-बार ताने देता और छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करता था. माही की बहन प्राची और चाची आशा ने पुलिस को बयान में बताया कि लगातार मानसिक दबाव और तानों के कारण माही तनाव में रहने लगी थी. पुलिस ने इन बयानों और जांच के आधार पर देर रात लक्ष्य गेहलोद के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है.

सांवेर के दो मंदिरों में दानपात्र से रुपए चुराने वाले दो आरोपी धराए

▸ सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों से पुलिस को मिली सफलता

नव भारत न्यूज

इंदौर. सांवेर कस्बे में दो मंदिरों से दानपात्र तोड़कर नकदी चोरी करने वाले दो शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपी सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पकड़े गए. पुलिस ने उनके पास से चोरी की रकम, घटना में प्रयोग की बाइक और औजार जब्त किए हैं.

घटना 29 अक्टूबर की रात करीब 2 बजे की है, जब अज्ञात चोरों ने बड़े हनुमान मंदिर और सांवेर सिटी कॉलोनी स्थित मंदिर के दानपात्रों के ताले तोड़कर उससे रुपए चोरी कर

लिए थे. मामले में थाना सांवेर पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई. एसपी यांगचून डोलकर भूटिया, एएसपी रुपेश द्विवेदी और एसडीओपी प्रशांत भदौरिया के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गिरीजा शंकर महोबिया ने विशेष टीम गठित की. टीम ने घटनास्थलों सहित आसपास के करीब 150 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले. फुटेज में दो संदिग्ध युवक पीले रंग का कपड़ा मुंह पर बांधे और टोपी लगाए दिखाई दिए. फुटेज के आधार पर पुलिस ने संदिग्धों की गतिविधियों को ट्रेस करते हुए बारोली टोल टैक्स से बड़ी ग्वालटोली तक उनकी मूवमेंट ट्रैक की. 8 नवंबर को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अरविंदो अस्पताल के पीछे कॉलोनी के मैदान से 22 वर्षीय दीपक उर्फ टिल्लू निवासी बड़ी ग्वालटोली और 21 वर्षीय ऋतिक उर्फ छोटू बोरासी निवासी सदर को पकड़ा. पूछताछ में दोनों ने चोरी की वारदात कबूल कर ली. उनकी निशानदेही पर दानपात्र तोड़ने में इस्तेमाल पेचकस, पीला गमछा, टोपी, बजाज पल्सर मोटरसाइकिल नम्बर एमपी 09 जेडक्यू 5132 और चोरी की नकदी बरामद की गई. फिलहाल, दोनों से अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ जारी है.

एक नजर में ▸ इस साल जनवरी से अब तक श्वानों के हमले की 30 हजार से अधिक घटनाएं दर्ज

डॉग बाइट : बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट का फैसला महत्वपूर्ण

इंदौर. शहर में पिछले कई वर्षों से आवारा श्वानों की समस्या बनी हुई है. इनके हमले से अब तक सैकड़ों लोग शिकार बन चुके हैं. कई शिकायतों के बावजूद नगर निगम की भूमिका उदासीन रही, लेकिन अंतत: सर्वोच्च न्यायालय ने आम लोगों के हित में महत्वपूर्ण फैसला दिया है.

शहर का शायद ही कोई ऐसा इलाका हो, जहां आवारा श्वानों के झुंड न दिखाई देते हों. सरकारी संस्थानों, कार्यालयों और अस्पताल परिसरों में भी इनका प्रवेश रोकने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया. नवभारत ने एमवाय अस्पताल के शिशु चिकित्सक परिसर और नई ओपीडी के अंदर घूमते आवारा श्वानों की तस्वीरें और खबर प्रकाशित कर उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया था, बावजूद इसके लापरवाही जारी रही और लोग

लगातार शिकार होते रहे. आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में करीब 46 हजार से अधिक डॉग बाइट के मामले सामने आए, जबकि वर्ष 2025 के जनवरी से अब तक 30 हजार से अधिक घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं, जो इस समस्या की गंभीरता को दर्शाती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट के निर्णय को दोहराते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नगर निकाय और परिवहन विभाग मिलकर हाईवे से मवेशियों और आवारा श्वानों को हटाएं और स्कूलों, कॉलेजों, खेल परिसरों, अस्पतालों तथा सरकारी कार्यालयों की फेंसिंग सुनिश्चित करें. यह फैसला बढ़ते हादसों और हमलों को रोकने के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

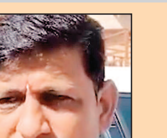

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप निगम कार्रवाई करेगा

सर्वोच्च न्यायालय ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित सार्वजनिक स्थानों से स्ट्रीट डॉग्स हटाने का निर्देश दिया है. सरकारी दिशा-निर्देशों और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप नगर निगम टीम कार्रवाई करेगी. - पुष्यमित्र भार्गव महापौर

यह बोले नागरिक...

डॉग बाईट को लेकर कई लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन जिम्मेदार विभाग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया. अब कोर्ट के इस फैसले से आम लोगों को बड़ी राहत मिली है.

- तरनजीत ठाकुर

इस फैसले के बाद नगर निगम को चाहिए कि जल्दी ही इस पर अमल करे, ताकि अब और लोगों को डॉग बाईट का शिकर होने से बचाया जा सके.

- नीरज कुमार कोली

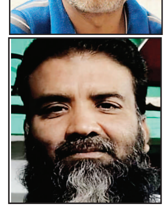

यह समस्या गंभीर होते जा रही थी, हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट के इस फैसले के बाद हमारा शहर आवारा श्वानों से मुक्त होकर इसमें भी नंबर वन पर बने रहेगा.

- सैयद सादिक हुसैन